थारू जनजाति (उ. प्र.) के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियां एवं समाधान

सूर्य प्रकाश तिवारी*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी. जी. कॉलेज, बभनान, गोंडा, उत्तर प्रदेश, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19463777

Received on: 11/03/2026 Accepted on: 26/03/2026 Published on: 08/04/2026

सारांश:

थारू जनजाति भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है, जो मूल रूप से भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में और नेपाल के दक्षिणी भागों में बसी हुई है। जो भौगोलिक दृष्टि से हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.09 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पायी जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसँख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 0.6 है। राज्य में थारू जनजातियों की कुल जनसँख्या 83544 (जनगणना, 2011) है जो अन्य स्रोत के अनुसार अब बढ़कर 105291 हो गया है। जो मुख्यतः लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर एवं महाराजगंज जनपद में पाए जाते हैं। ये सभी प्रायः हिंदू धर्म को मानते हैं और अपनी अनूठी संस्कृति, रीति-रिवाजों और त्योहारों के लिए जाने जाते हैं। इनका परम्परागत पेशा कृषि, पशुपालन, वन एवं अन्य सम्बंधित व्यवसाय रहा है। थारू जनजाति के लोग प्राचीनकाल से वर्तमान समय तक अपनी समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विविधताएँ संजोए हुए हैं। यद्यपि वे लोग विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपनी जातीय थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति को दुनिया भर में अपनाने के लिए एक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य थारू गाँवों को पर्यटन मानचित्र पर लाना और आदिवासी आबादी के लिए रोज़गार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पैदा करना है।

***मुख्य शब्द**: जनजाति, संस्कृति, थारू, लोकसंस्कृति, तराई क्षेत्र।*

भारत की जनजातीय परंपरा उसकी सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रतीक है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित अनुसूचित जनजातियाँ भारतीय समाज का अभिन्न अंग हैं। इन्हीं में एक प्रमुख जनजाति थारू जनजाति है, जो मुख्यतः नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर तथा बलरामपुर जिलों में इनका मुख्य वितरण पाई जाती है।

थारू समुदाय की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें क्षत्रिय राजवंशी वर्ग से उत्पन्न मानते हैं (Pandey, 2014), तो कुछ विद्वान इन्हें मध्य एशिया से आए प्रवासी समूह का वंशज बताते हैं (Singh, 2017)। इनका नाम "थारू" संभवतः थार मरुस्थल या स्थानीय "थारूनी" शब्द से व्युत्पन्न माना गया है। थारू समाज मातृसत्तात्मक प्रभाव, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान और सामुदायिक सहयोग की भावना के लिए प्रसिद्ध है। किंतु उपनिवेशवाद, वन अधिनियमों, आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण तथा सीमावर्ती विकास परियोजनाओं ने इनके सांसारिक जीवन को अत्यधिक गहराई से प्रभावित किया है।

उद्देश्य:

- शोध पत्र का उद्देश्य थारू जनजातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना।
- उन समस्याओं के समाधान के लिए संभावित उपायों की तलाश करना है।

थारू जनजाति का भौगोलिक वितरण:

आदिवासी 'थारू' जनजाति भारत-नेपाल की सीमा के दोनों तरफ़ शिवालिक या निचले हिमालय के तराई क्षेत्र में, घने जंगलों के बीच निवास करती है, जो कि भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक उत्तर भारत की प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति शिवालिक क्षेत्र की तलहटी की तराई में रहती है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के ज़िलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत व गोण्डा में थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। इनमें से ज़्यादातर लोग जंगल में रहते हैं और कुछ खेती करते हैं। भारतीय तराई में वे ज़्यादातर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 11 लाख से ज़्यादा थी; अब यह संख्या 20 लाख से ज़्यादा होने का अनुमान है। इस आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा थारू लोगों का है। इस जनजाति के लोग अपने घरों के पास उगाई जाने वाली गेहूं, धान, मक्का और सब्जियों पर निर्भर रहते हैं। ज़्यादातर लोग अभी भी जंगल से दूर रहते हैं।

थारू की उत्पत्ति से जुड़ी मुख्य धारणाएँ:

- **राजपूत वंशज:**
  - एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार, 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के कुछ सिपाहियों ने अपनी पत्नियों और सेवकों के साथ तराई क्षेत्र में शरण ली थी।

  - इन सिपाहियों के मारे जाने के बाद, उनकी पत्नियों ने सेवकों से विवाह किया और उनकी संताने थारू कहलाईं।
  - इस मत के अनुसार, वे सिसोदिया राजवंश के वंशज हैं।
- **थार रेगिस्तान से:**
  - कुछ लोगों का मानना है कि "थारू" नाम थार रेगिस्तान से आया है, और वे वहां के उन राजपूतों के वंशज हैं जो 16वीं शताब्दी में जंगलों में चले गए थे।
- **बौद्ध धर्म से:**
  - एक अन्य सिद्धांत यह है कि "थारू" शब्द संस्कृत के "स्थविर" (थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी) से निकला है।
  - मध्य नेपाल के कुछ थारू लोग खुद को गौतम बुद्ध का वंशज मानते हैं।
- **अन्य मत:**
  - कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि थारू समुदाय खुद को मातृ पक्ष से राजपूत मानते हैं, जबकि पितृ पक्ष से भील उत्पत्ति का मानते हैं।
  - वे कुछ वंशावली उपाधियाँ (सरनेम) भी रखते हैं जैसे राणा और चौधरी।

थारू समाज का सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य:

थारू जनजाति का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका रहन-सहन, वेशभूषा, भोजन, भाषा और धार्मिक विश्वास स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल विकसित हुआ है।

- **परिवार और सामाजिक संरचना:**

थारू समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा प्रचलित रही है। महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है—वे न केवल घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं बल्कि कृषि और सामाजिक आयोजनों में भी सक्रिय होती हैं (Rawat, 2018)। विवाह प्रणाली मुख्यतः एकपत्नीत्व पर आधारित है, किंतु विधवा विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकार्यता प्राप्त है।

- **धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था:**

थारू समाज के धार्मिक विश्वास हिन्दू धर्म से प्रभावित हैं, परंतु इनमें प्रकृति पूजा का विशेष स्थान है। वे 'बुढ़ी माई', 'थारू देवी' और 'बारा देवी' जैसे लोकदेवताओं की उपासना करते हैं। उत्सवों में हरियाली, होली, दीपावली, बुढ़ी माई पूजा और माघ मेला प्रमुख हैं।

- **लोककला और सांस्कृतिक धरोहर:**

थारू महिलाएं मिट्टी की दीवारों पर 'लिपाई कला' और 'अलपना' बनाती हैं। लोकगीतों और नृत्यों में कृषि, प्रेम और ऋतु परिवर्तन की झलक मिलती है। यह लोकसंस्कृति धीरे-धीरे विलुप्ति की कगार पर है क्योंकि युवा पीढ़ी रोजगार की खोज में शहरों की ओर प्रवास कर रही है।

सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ

1. शिक्षा एवं साक्षरता की कमी

थारू समाज में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। जनगणना 2011 के अनुसार थारू जनजाति की साक्षरता दर मात्र 52.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है (Census of India, 2011)। विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा उपेक्षित रही है। शिक्षा के अभाव में यह समुदाय सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता।

2. स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएँ

थारू क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, और मलेरिया जैसी बीमारियाँ व्यापक हैं (Sharma & Singh, 2019)। पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के बावजूद आधुनिक चिकित्सा तक पहुँच सीमित है।

3. विस्थापन और भूमि अधिकारों का संकट

वन अधिनियम 2006 से पहले, थारू लोगों को वनभूमि पर अतिक्रमणकारी समझा जाता था। वन्यजीव अभयारण्यों के विस्तार, विशेषकर दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना (1977) के बाद, अनेक थारू परिवारों को अपने पारंपरिक गाँवों से विस्थापित होना पड़ा (Joshi, 2020)। इससे उनकी सामाजिक संरचना और आर्थिक स्थिरता दोनों पर गहरा असर पड़ा।

4. सांस्कृतिक क्षरण और पहचान संकट

आधुनिकता, शिक्षा की एकरूपता और मीडिया के प्रभाव ने थारू संस्कृति की विशिष्टताओं को क्षीण किया है। पारंपरिक परिधान, बोली और लोकगीत अब केवल वृद्ध पीढ़ी तक सीमित हो रहे हैं। युवा वर्ग अपने सांस्कृतिक मूल से कटता जा रहा है।

5. प्रशासनिक उदासीनता

सरकारी योजनाओं का लाभ अक्सर बिचौलियों के कारण इन तक नहीं पहुँच पाता। थारू महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, किंतु संस्थागत सहायता का अभाव है।

संभावित समाधान

1. शिक्षा का स्थानीयकरण

थारू समाज की भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप मातृभाषा आधारित शिक्षा इनकी साक्षरता दर बढ़ाने में सहायक होगी।

2. स्वास्थ्य ढाँचे का सुदृढ़ीकरण

सरकार को थारू बहुल क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और आयुष आधारित स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने चाहिए। पारंपरिक चिकित्सकों (वैद्य) को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से जोड़ा जाए ताकि स्थानीय ज्ञान संरक्षित रहे।

3. भूमि अधिकारों की सुरक्षा

वन अधिकार अधिनियम (2006) के प्रावधानों के अनुसार थारू परिवारों को सामुदायिक वन भूमि पर स्वामित्व और उपयोग का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे उनका आर्थिक आत्मनिर्भरता स्तर बढ़ेगा।

4. सांस्कृतिक पुनर्जागरण

थारू कला, नृत्य और लोकगीतों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जाए। सांस्कृतिक महोत्सवों में थारू समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके साथ-साथ थारू सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना से इनकी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण संभव है।

5. महिला सशक्तिकरण

थारू महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्प प्रशिक्षण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। इससे परिवार की सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा।

6. अनुसंधान एवं नीति सहयोग

विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के माध्यम से थारू समुदाय पर निरंतर शोध को प्रोत्साहित किया जाए ताकि विकास योजनाएँ एविडेंस-बेस्ड बन सकें।

निष्कर्ष (Conclusion)

थारू जनजाति भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक अनमोल कड़ी है। इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान केवल परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की जैव विविधता का प्रतीक है। वर्तमान युग में इनकी समस्याएँ केवल विकास की नहीं, बल्कि अस्तित्व की हैं। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण के समन्वित प्रयास ही इन्हें सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक स्वाभिमान दिला सकते हैं।

थारू समाज के पुनर्जागरण की दिशा में सरकार, अकादमिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों को मिलकर कार्य करना होगा। तभी यह समुदाय अपनी जड़ों से जुड़ा रहते हुए आधुनिक भारत की प्रगति में भागीदार बन सकेगा।

संदर्भ:

1. Census of India (2011). Primary Census Abstract – Scheduled Tribes of Uttar Pradesh and Uttarakhand.

2. Pandey, R. K. (2014). Ethnographic Study of Tharu Tribe in Terai Region of Uttar Pradesh. Indian Anthropologist, Vol. 44(2).

3. Rawat, S. (2018). Gender Roles among Tharu Tribes of Uttarakhand. Journal of Social Inclusion Studies, Vol. 6(1).

4. Sharma, V. & Singh, M. (2019). Health Status and Nutrition among Tharu Women in India. International Journal of Tribal Health Studies.

5. Joshi, K. (2020). Displacement and Forest Rights of Tharu Communities near Dudhwa National Park. Economic & Political Weekly, Vol. 55(41).

6. Singh, A. K. (2017). Cultural Transition among the Tharus of Indo-Nepal Borderland. Delhi: Concept Publishing Company.

7. Government of India (2006). The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

8. Ministry of Education (2020). National Education Policy 2020. Government of India.